**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2071/2026

Deepak Kumar Meena S/o Dungarsingh Meena, Aged About 30 Years, R/o Village Toda, Jaisinghpura, P.s. Tahla District Alwar (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Mohar Pal Meena |
| For Respondent(s) | : | Mr. Amit Kumar Gupta, PP with<br>Mr. Shubham Kumar Sain, AAAG |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**23/02/2026**

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना टहला, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि पूर्व में जब परिवादी के कथन धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखबद्ध हुए थे, तब परिवादी ने प्रार्थी का नाम अपने कथनों में नहीं लिया था। बाद में तितम्बा कथनों में प्रार्थी का नाम लिया है, जिसका कोई आधार नहीं है। उनका तर्क है कि पूर्व में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत हुआ था। प्रार्थी दिनांक 15.01.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों से संबंधित है। सहअभियुक्त राजेन्द्र व दिनेश को पूर्व में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रकरण के

अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी से 4,50,000 रूपये लूटे हैं तथा पूर्व में वह फरार रहा है, इसलिए धारा 335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अभी तितम्बा आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी से 4,50,000 रूपये लूटे हैं। अभियुक्त पूर्व में फरार हो गया था तथा उसे दिनांक 15.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है। अभी प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध तितम्बा आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **इस प्रक्रम पर जबकि अन्वेषण जारी है तथा तितम्बा आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है**, प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /55